न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—102 / 2021 / 223 आर.टी.एक्ट (2021 / 102)

1. श्री पूरण पुत्र श्री गोदू जाति गुर्जर
2. रामी पुत्री श्री गोदू जाति गुर्जर
3. पूसी पुत्री श्री गोदू जाति गुर्जर
4. मंगली पुत्री श्री गोदू जाति गुर्जर
   समस्त निवासी ग्राम मण्डियानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री हमीरा दत्तक पुत्र हीरा जाति गुर्जर
2. श्रीमती छोटी पत्नि रामचन्द्र जाति गुर्जर
3. अमरचंद पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जाति गुर्जर
4. राजू पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जाति गुर्जर
   हाल निवासी पंचशील (केरिया) माकडवाली रोड अजमेर।
5. धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 श्री काना जाति गुर्जर
6. नौसर पुत्री स्व0 श्री काना जाति गुर्जर
   हाल निवासी गणेशगढ शास्त्री नगर, लोहागल रोड, अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

8. श्रीमती केसर पत्नि सायर जाति गुर्जर
9. पूसा पुत्र श्री सायर जाति गुर्जर
10. बीरमा पुत्र श्री सायर जाति गुर्जर
11. प्रताप पुत्र स्व0 श्री नारायण जाति गुर्जर (फौत) जरिए वारिसानः—
    11 / 1 श्रीमती रूकमा पत्नि प्रताप
    11 / 2 मंगल
    11 / 3 गोविन्द
    11 / 4 गिरधारी
    11 / 5 मुकेश पुत्रगण प्रताप
    11 / 6 रतनी
    11 / 7 सोनी
    11 / 8 गोट्या
    11 / 9 धन्नी पुत्रीयां प्रताप
12. रामधन पुत्र स्व0 श्री नारायण जाति गुर्जर
13. छगना पुत्र स्व0 श्री नारायण जाति गुर्जर
    समस्त निवासी ग्राम मण्डियानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 96 / 2011

उपस्थितः—

1. श्री एन0के0जैन अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुमित जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6
3. श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 8 से 13 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—21.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 96/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांटगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावे व जवाब दावे के आधार पर दो तनकीयां निर्मित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयां वादी/अपीलांटगण के विरूद्ध तय किए जाने से प्रकरण का निर्णय दिनांक 26.03.2021 को किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 96/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 8 से 13 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि अपीलाधीन भूमि से संबंधित न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रतियां वाद पत्र एवं जवाब दावा कि जिन्हें वाए पत्रावली के रेकार्ड पर लिए जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है जो कि न्यायालय के द्वारा प्रमाणित प्रति जारी की गई संदेह से परे है, सुसंगत दस्तावेज है उक्त अपील के न्यायिक निर्णय हेतु आवश्यक है कि जिन्हें अपील पत्रावली के रेकार्ड पर लिए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत है। प्रमाणित प्रति चौसाला जमाबंदी संवत 2019—2022, प्रमाणित प्रति खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी, प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2028—2030, प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2010—2013, प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2016—2018, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी। प्रमाणित प्रति राजस्व वाद संख्या 39/1973 हीरा बनाम कालू व अन्य दिनांक 16.8.1973 न्यायालय सहायक कलक्टर क्रम संख्या 01 अजमेर। प्रमाणित प्रति जवाबदावा जो कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 के द्वारा दिनांक 8.6.1974 को न्यायालय सहायक कलक्टर क्रम संख्या 01 अजमेर के

समक्ष वाद संख्या 39/1973 में प्रस्तुत किया गया। क्रम संख्या 02 दस्तावेज प्रमाणित पति जवाब दावा कि जिसके पैरा संख्या 10 में राजस्व वाद सख्या 39/1973 हीरा बनाम कालु व अन्य में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया कि जिस जवाबदावा के पैरा सख्या 10 के अनुसार श्री श्योराम के द्वारा फैमिली अरेजमेन्ट के अनुसार 1/5 हिस्सा जो कि उक्त अपीलार्थीगण के पिता श्री गोदू को दी गई, राजस्व वाद सख्या 39/1973 में प्रतिवादीगण के द्वारा जरिये जवाबदावा के यह स्वीकार किया गया कि अपीलाधीन भूमि जो कि श्री श्योराम कि जिनके 05 पुत्र कि जिनमें एक पुत्र गोदू को दी गई, राजस्व वाद सख्या 39/1973 कि जिसमें प्रतिवादी काना, रामचन्द्र थे, वर्तमान में उक्त अपील में श्री रामचन्द्र एवं काना के वारिसान पक्षकार रेस्पोडेन्ट है, इस प्रकार राजस्व वाद सख्या 39/1973 में प्रतिवादी संख्या 05 एवं रामचन्द्र के द्वारा जरिये जवाबदावा के पैरा संख्या 10 में यह स्पष्ट स्वीकार किया कि विवादित भूमि अपीलार्थीगण के पिता गोदू को फैमिली अरेजमेन्ट के अनुसार प्राप्त हुई, क्रम सख्या 02 प्रमाणित प्रति जवाबदावा जो कि उक्त अपील के न्यायिक निर्णय हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज है एवं आवश्यक है कि जिसे अपील पत्रावली के रेकार्ड पर लिए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत है। अपीलार्थीगण के पास अति पुराने कागजात घर में लोहे की पेटी में रखे थे कि जिन्हें दिनांक 15–06–2023 को ही देखने पर आवेदनकर्ता पूरण को जानकारी हुई कि विवादित भूमि से सम्बन्धित है, इस पर आवेदनकर्ता के द्वारा सम्बन्धित विभाग जिला रेकार्ड कार्यालय अजमेर से जानकारी कर दिनांक 16–06–2023 को ही प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि जिस पर दिनांक 26–06–2023 को ही प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई, प्राप्त होने पर बिना किसी विलम्ब के आवेदन पत्र में वर्णित दस्तोवजात को अपील पत्रावली के रेकार्ड पर लिए जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर बतौर साक्ष्य शुमार फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलांट ने संबंधित भूमि के संबंध में जो राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है उसकी जानकारी वादी/अपीलांट को प्रथम दिन से ही थी और यह चूंकि राजस्व रिकार्ड है कि अपने आपमे सार्वजनिक दस्तावेज है जिसकी प्रतिलिपी कोई भी व्यक्ति नियमानुसार शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। अपीलांट/वादी ने ऐसा कोई कारण नहीं लिखा जिसकी वजह से इस रिकार्ड को अपीलांट/वादी ने उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हो। ऐसा कोई दस्तावेज जिसकी जानकारी वादी को दावा करते समय नहीं हो तो उस परिस्थिति में न्यायालय उसको रिकार्ड पर ले सकती है एवं दूसरी परिस्थिति ऐसा दस्तावेज जिसको निचली अदालत अर्थात उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ने रिकार्ड पर लेने से इंकार कर दिया हो तो ही आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीलीय न्यायालय को प्रदर्शित नहीं किया गया है इसलिए नियमानुसार न्यायालय कानूनी कार्यवाही में इस दस्तोवज को पढ ही नहीं सकते है। अपीलांट द्वारा यह दस्तावेज मात्र अपील के डिस्पोसल में देरी करने के उददेश्य से प्रस्तुत किए गए है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि जिसके खातेदार शोराम पुत्र चौथू जाति गुर्जर थे कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस हीरा, गोकल, सूजा, नारायण, गोदू व जवारा कि इनमें से जवारा लाऔलाद फौत हो चुका था तथा श्री गोदू पुत्र शोराम के वारिसान अपीलार्थीगण है तथा श्री शोराम पुत्र चौथू के द्वारा धारित भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 76 बीघा 1 बिस्वा कि जिसके चौसाला खतौनी संख्या 165, 166, 167 कि जिनके खसरा नम्ब 332, 842/1, 842/2, 543, 841/5, 542, 841/2, 544, 841/4, 545, 841/3 एवं 841/1 कुल किता 11 कि जिनका कुल क्षेत्रफल 76 बीघा 1 बिस्वा की भूमि जो श्री शोराम पुत्र चौथू जाति गुर्जर की खातेदारी की भूमि थी कि जिनका श्री शोराम पुत्र चौथू के वारिसान हीरा, गोकल, सूजा, नारायण व गोदू के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवारा हो चुका था कि जिसके अनुसार अपीलाधीन भूमि जो कि अपीलार्थीगण के पिता श्री गोदू को प्राप्त हुई कि जिसे श्री गोदू के जीवनकाल तक उनके द्वारा ही विधिक एवं भौतिक रूप से बिना किसी आपत्ति के निरन्तर काश्त की जाती रही तथा श्री गोदू के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिस अपीलार्थीगण के द्वारा ही काश्त की जाती रही है परन्तु राजस्व अभिलेख में पूर्व खतौनी मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी एवं चौसाला जमाबन्दी के इन्द्राज के प्रतिकूल जमाबन्दी में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम गलत इन्द्राज कर दी गई जबकि अपीलाधीन भूमि कि जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 का कोई हक, अधिकार, सरोकार ही नहीं है कारण कि 76 बीघा 1 बिस्वा की भूमि कि जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि हीरा का दत्तक पुत्र है को उसके 1/5 हिस्से की भूमि इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 को भी उनके हिस्से की भूमि आपसी पारिवारिक बंटवारे के अनुसार अपीलाधीन भूमि के अलावा प्राप्त हुई इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गए। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद पत्र में विवाद बिन्दु संख्या 1 आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान अंकन त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवाद बिन्दु संख्या 1 का निर्णय वाद पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा वाद पत्र में प्रेषित अभिवचन के प्रतिकूल विवाद बिन्दु संख्या 1 का निर्णय गलत किया गया, इसी प्रकार विवाद बिन्दु संख्या 2 आया प्रतिवादी रिकार्डेड खातेदार होने से वाद खारिज योग्य है, जबकि इस संदर्भ में प्रतिवादीगण के द्वारा इस बाबत् कोई साक्ष्य मौखिक एवं दस्तावेजी ही प्रस्तुत नहीं की गई बल्कि अपील के पैरा संख्या 2 में वर्णितानुसार मूल खातेदार श्री शोराम पुत्र चौथू के स्वर्गवास के पश्चात आपसी पारिवारिक बंटवारे के अनुसार श्री गोदू का 1/5 हिस्से की भूमि अपीलार्थीगण को प्राप्त हुई एवं इसी प्रकार श्री हीरा पुत्र शोराम कि जिसके कोई संतान नहीं थी का दत्तक पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 हमीरा को भी अपीलाधीन भूमि के अलावा 1/5 हिस्सा की भूमि प्राप्त हुई, इस प्रकार विवाद बिन्दु संख्या 2 का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गलत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया कि जवाब दावे के पैरा संख्या 3 में प्रतिवादीगण के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि खातेदार श्री शोराम पुत्र चौथू थे के स्वर्गवास के पश्चात आपसी पारिवारिक बंटवारा हो चुका था, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार भी श्री शोराम पुत्र चौथू के द्वारा धारित भूमि जिसका क्षेत्रफल 76 बीघा 1 बिस्वा कि जिसका श्री शोराम पुत्र चौथू के स्वर्गवास के पश्चात पारिवारिक आपसी बंटवारा हो चुका था। अपीलार्थीगण के पिता श्री गोदू कि जिसका 1/5 हिस्सा के अनुसार अपीलाधीन भूमि जो कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित की गई है के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 841 कुल रकबा 54–1–0 में से रकबा 8–12–0 तथा चौसाला खसरा नम्बर 545 रकबा 1–15–0 तथा चौसाला खसरा नम्बर 842/1 रकबा 0–2–0 तथा चौसाला खसरा नम्बर 842/2 रकबा 13–7–0 में से रकबा 3 बीघा जो कि कुंए के पास लगती हुई एवं चाह में हिस्सा जो कि अपीलार्थीगण के पिता श्री गोदू पुत्र शोराम को प्राप्त हुई कि जिस पर कदीमी समय से, श्री शोराम के स्वर्गवास के पश्चात आपसी पारिवारिक बंटवारे के तहत प्राप्त हुई कि जिसका भू–प्रबन्ध अधिकारी, राजस्व अधिकारियों को राजस्व भू–अभिलेख जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज किए जाने का कोई अधिकार ही नहीं था, ऐसी अवस्था में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो कि राजस्व अभिलेख, खतौनी जमाबन्दी, खेवट, चौसाला जमाबन्दी के प्रतिकूल होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 96/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि चौसाला जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी के मूल खातेदार हमीरा मुतबन्ना हीरा, रामचन्द्र काना पि० हजारी थे। हीरा फौत होने से नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 09.10.77 को आराजी मुतनाजा हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुयी, तथा छीतर पुत्र सालू के बजाय रामचन्द्र, काना पुत्र हजारी के नाम दर्ज हुयी। वर्किंग जमाबंदी के अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा मूल खातेदार तत्पश्चात प्रतिवादीगण/वारिसों के नाम सही रूप से दर्ज की गयी। आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी में शोराम पुत्र चौथू के नाम सम्वत् 2019–22 में नाम दर्ज होने कथन मिथ्या है। आराजी मुतनाजा पर वर्षों से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स/वादी ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में दो तनकीयां निर्मित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयों के आधार पर अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक

26.03.2021 में खारिज किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध पारिवारिक सजरे के अनुसार शोराम पुत्र चौथू जाति गुर्जर का स्वर्गवास हो गया तथा उनके वारिस हीरा, गोकल, सूजा, नारायण, गोदू व ज्वारा हुए इनमें से ज्वारा लाऔलाद फौत हो गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2019–2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात के खसरा नम्बर 585 व 841/3 के खातेदार काश्तकार शोराम वल्द चौथू गुर्जर हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी खतौनी ग्राम मंडियानी पटवार हल्का ढाल द्वितीय के अनुसार हीरा के फौत हो जाने पर उक्त आराजीयात का जरिए नामांतरकरण संख्या 20 दिनांक 09.10.1977 को आराजी मुतनाजा हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुई है, तथा नामांतरकरण संख्या 21 के अनुसार छीतर पुत्र सालू के बजाय रामचन्द्र, काना पिसरान हजारी के नाम दर्ज हुई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 3 के अनुसार हमीरा मुतबन्ना हीरा, रामचन्द्र, काना पिसरान हजारी कौम गुर्जर साकिन देह खातेदार व हमीरा पुत्र हीरा राहिन अजमेर सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक शाखा नसीराबाद मुर्तहीन कुल खसरा 14 कुल रकबा 9.58 है0।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में यह कहीं पर भी अंकित नहीं किया गया है कि उक्त विवादित आराजीयात पैतृक है या नहीं क्यों कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त आराजीयात श्योराम वल्द चौथू से हीरा के नाम दर्ज होना पाया गया व हीरा के फौत होने पर उक्त आराजीयात हमीरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयों पर बिना साक्ष्य के वाद का निस्तारण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में तनकीयों पर साक्ष्यों को प्रदर्श के रूप में मार्क नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय बिना किसी फाईण्डिंग के पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में निर्मित तनकीयों में भी इस बाबत किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादी द्वारा इस बाबत अपने जवाब दावे में कोई कथन अंकित किए गए है कि बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश के उक्त आराजीयात मात्र हीरा के ही खातेदारी में दर्ज की गई। उसके उपरांत जरिए विरासत नामांतरकरण हमीरा के नाम दर्ज हुई। क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दो तनकीयां निर्मित की गई थी परंतु उनके द्वारा उक्त तनकीयों पर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं लिया गया वरन जवाबदावे के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकीयों का निर्णय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयां निर्मित कर उक्त तनकीयों पर वादी/प्रतिवादीगण से साक्ष्य लेने चाहिए थे जिसके आधार पर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि प्रकरण में निर्मित तनकीयों पर साक्ष्य लिए जाते व उक्त साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयों का विस्तृत विवेचन किया जाता तो प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर अधिक स्पष्ट रूप से हो पाता परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण में इस आधार पर निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना साक्ष्य के व बिना गुणावगुण पर फाईण्डिंग दिए पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है अतः उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व

डिक्री दिनांक 26.03.2021 विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 96/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर उक्त तनकीयों पर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रत्येक तनकी में गुणावगुण पर फाईण्डिंग देते हुए विस्तृत रूप से पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.09.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर